संख्या- 113 /2024/2498/26-3-2024/C.N.-1820919

प्रेषक,

रजनी कान्त पाण्डेय,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण विभाग,
उ0प्र लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 30 अगस्त, 2024

विषय-वित्तीय वर्ष 2023-24 में समयान्तर्गत परीक्षा परिणाम घोषित न होने एवं कतिपय अन्य कारणों से सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के वंचित छात्रों/छात्राओं को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति व अन्य कार्यों हेतु जारी समय-सारिणी की तिथियों में वृद्धि करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1767/स0क0/ शिक्षा-अ/7/257/2024-25 दिनांक 21.08.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में समयान्तर्गत परीक्षा परिणाम घोषित न होने एवं कतिपय अन्य कारणों से सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के वंचित छात्रों/छात्राओं को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति व अन्य कार्यों हेतु जारी समय-सारिणी की तिथियों में वृद्धि करते हुए शासनादेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-87/2024/1942/26-3-2024/C.No-1820919 दिनांक 08-07-2024 द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में समयान्तर्गत परीक्षा परिणाम घोषित न होने एवं कतिपय अन्य कारणों से सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के वंचित छात्रों/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति व अन्य कार्यों हेतु समय-सारिणी निर्गत की गयी है।

उक्त समय-सारिणी के अन्तर्गत जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के स्तर से शुद्ध एवं संदेहास्पद डाटा पर निर्णय हेतु दिनांक 20-08-2024 अंतिम तिथि निर्धारित की गयी थी। छात्रों/छात्राओं के बैंक खाते का पी०एफ०एम०एस० से वैलिडेशन अत्यन्त विलम्ब से प्राप्त हो रहा है, इस कारण उक्त तिथि को बढ़ाया जाना अपरिहार्य हो गया है।

3- उक्त के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2023-24 में समयान्तर्गत परीक्षा परिणाम घोषित न होने एवं कतिपय अन्य कारणों से सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक वर्ग के वंचित छात्रों/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति व अन्य कार्यों हेतु निम्नानुसार तिथियों में वृद्धि करते हुए समय-सारिणी में निर्गत की जा रही है:-

क्र0 सं0	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	वर्तमान समयावधि	प्रस्तावित समयावधि
1	**जनपदीय समिति द्वारा डाटा लॉक करना** जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा डाटा पर निर्णय करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना ।	08 अगस्त, 2024 से 20 अगस्त, 2024 तक	10 सितम्बर, 2024 तक
2	**मांग सृजन** जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल तक सिग्नेचर से लॉक डाटा एवं वर्ष 2023-24 के ट्रांजेक्शन फेल वाले छात्रों/छात्राओं का मांग सृजन कराना ।	22 अगस्त, 2024	19 सितम्बर, 2024 तक

3	**धनराशि का अन्तरण** जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा, वर्ष 2023-24 के ट्रांजेक्शन फेल वाले छात्रों/छात्राओं को PFMS प्रणाली के माध्यम से आधार सीडेड / एन०पी०सी०आई० से मैप्ड बैंक खातों में धनराशि अन्तरित किया जाना ।	30 अगस्त, 2024 तक	26 सितम्बर, 2024 तक

4- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत शासनादेशो/ छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में समयान्तर्गत परीक्षा परिणाम घोषित न होने एवं कतिपय अन्य कारणों से सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के वंचित छात्रों/छात्राओं को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति व अन्य कार्यों का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by

Rajani Kant Pandey (रजनी कान्त पाण्डेय)
उप सचिव।

Date: 30-08-2024 17:55:31

पृ०सं० एवं दिनाक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज।
2- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/ वित्त/ नियोजन/ माध्यमिक शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र० द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
5- निदेशक, कोषागार, उ०प्र०लखनऊ।
6- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र०लखनऊ।
7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- निदेशक, एन०आई०सी० राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
9- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ०प्र० द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रजनी कान्त पाण्डेय)
उप सचिव।